

**फर्द अहकान**  
**अज अदालत मुकान जिला कलक्टर, भरतपुर**  
**जिल्ला मुकदमा धारा-8 ए गौवंश अधि**  
**थानाधिकारी पुलिस थाना नदबई बनान नूरदीन वगैर**  
**मुकदमा सं० 06 संन 2025**

तारीख हुन्न	हुन्न वा कार्यवाही इतिहासत जाज	सम्बन्ध व सामोख आहकाम जो हुन्न को सामील में जारी हुर
28.01.25	<p>भार सक्षम पदाधिकारी पुलिस थाना नदबई भरतपुर ने पत्रांक 355 दिनांक 25.01.2025 से प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्वात का विनियमन) धारा 5/8 एफ.आई.आर सं० 371/2016 विरुद्ध अज्ञार्थी नूरदीन पुत्र असीन जाति नेव उम्र 60 साल निवासी रावली थाना झिरका जिला झिरका किराजपुर जिला नेवात हरियाना पेश किया गया है। प्रकरण दर्ज सजिस्टर हो। गैर सायत की तलवी हेतु नोटिस जारी हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>२</b>  <b>जिल्ला कलक्टर</b>  <b>भरतपुर</b></p>	
30.01.25	<p>आज यह पत्रावली जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर की ओर से एक प्रार्थना पत्र क्रमांक प( )आब/अभि/वाहन नीलानी/24-25 /3849 दिनांक 30.01.2025 पर पेश हुई। जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर ने उक्त पत्र में निवेदन किया है कि - "आईस्टर ट्रक संख्या RJ 02 GB 1368 गौवंश का अवैध परिवहन करने के साथ अवैध नदिरा का परिवहन करने के कारण थानाधिकारी पुलिस थाना नदबई भरतपुर द्वारा उक्त वाहन को जखराज किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा वाहन स्वामी को वाहन छुड़ाने हेतु नोटिस एवं समाचार पत्रों में आम सूचना जारी की गयी। इसके बावजूद भी सम्बन्धित वाहन स्वामी द्वारा न तो वाहन को छुड़ाया गया और न ही इस पर आरोपित जुर्माना राशि आबकारी विभाग में जमाराज करायी गयी। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी आबकारी आयुक्त राज० उदयपुर द्वारा अपने आदेश 2576 दिनांक 10.12.2018 को वाहन राजसात करने की आज्ञा दी गई है। राज० आबकारी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत दर्ज अभियोग में जख्त वाहन आईस्टर ट्रक संख्या RJ 02 GB 1368 की दिनांक 08.01.2025 को नीलामी कराई जा चुकी है। जिसे क्रंता श्री वसीम गुलाम नबी पुत्र श्री गुलाम नबी, निवासी दानीलिमडा, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा क्रय किया गया है।"</p> <p>जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अन्त में प्रार्थना की गई है कि राजस्थान गौवंश अधिनियम में वाहन सुपुर्दगी का अधिकार जिला कलक्टर भरतपुर का है अतः उक्त वाहन जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर को सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु निवेदन किया है।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया, जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना नदबई, भरतपुर द्वारा दिनांक 15.07.2016 को वाहन आईस्टर ट्रक संख्या RJ 02 GB 1368 में 19 गौवंश 17 जीवित एवं 02 मरे हुये पाये गये जिन्हे वूँस-वूँस कर गूरता पूर्वक राजस्थान सीमा से उत्तर प्रदेश अवैध परिवहन में लिप्त पाये</p>	

जाने पर एवं उक्त ट्रक में 20 लीटर हथकण्ड देशी शराब रखने, गौवंश परिवहन करने का कोई परमिट नहीं होने के कारण एवं देशी शराब परिवहन का लाइसेंस नहीं होने के कारण मुकदमा नं० 371/16 धारा 5/8 गौवंश अधिनियम एवं एक्सआईज एक्ट की धारा 16/54 के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर उक्त आईसर ट्रक संख्या RJ 02 GB 1368 को जप्त किया गया है।

चूंकि जिला आवकारी अधिकारी भरतपुर द्वारा राजस्थान आवकारी अधिनियम 1950 के तहत कार्यवाही करते हुये वाहन स्वामी को वाहन छुड़ाने हेतु नोटिस एवं समाचार पत्रों में आम सूचना जारी कराये जाने के उपरान्त वाहन स्वामी के उपस्थित नहीं होने पर, आवकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर द्वारा उनके आदेश 2576 दिनांक 10.12.2018 को वाहन राजसात करने की आज्ञा दी गई है। राज० आवकारी अधिनियम 1950 धारा 16/54 के अन्तर्गत दर्ज अभियोग में जप्त वाहन आईसर ट्रक संख्या RJ 02 GB 1368 की दिनांक 08.01.2025 को नीलामी कराई जा चुकी है। इससे स्पष्ट है कि वाहन स्वामी को अपने जप्त वाहन आईसर ट्रक संख्या RJ 02 GB 1368 को छुड़वाने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

एफआईआर संख्या 371/2016 में दर्ज राजस्थान गौवंश अधिनियम के तहत गौवंशीय पशु का अवैध परिवहन करने के कारण धारा 5/8 के अन्तर्गत जप्त आईसर ट्रक संख्या RJ 02 GB 1368 का निस्तारण इस न्यायालय द्वारा किया जाना है, यहाँ यह स्पष्ट है कि वाहन स्वामी द्वारा जप्त वाहन की जुर्माना राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण वाहन को राजस्थान आवकारी आयुक्त उदयपुर द्वारा राजसात किया जा चुका है तथा उक्त वाहन की नीलामी भी हो चुकी है ऐसी स्थिति में गौवंश अधिनियम की धारा 5/8 के तहत उक्त जप्त वाहन को जिला आवकारी अधिकारी भरतपुर के निवेदनानुसार उनको सुपुर्दगी में दिया जाना उचित पाते हैं। भविष्य में गौवंशीय अधिनियम की धारा 5/8 के सन्दर्भ में न्यायालय हाजा में आपत्ति करने को वाहन स्वामी स्वतन्त्र है। अगर भविष्य में सक्षम न्यायालय की आज्ञा पर वाहन स्वामी द्वारा कोई उज्र पेश किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जिला आवकारी अधिकारी भरतपुर तदनुसार पालना सुनिश्चित करेंगे। अब इस प्रकरण में गैरसायल को तलब किया जाना उचित नहीं पाते हैं।

अतः भार साधक पदाधिकारी, पुलिस थाना नदबई भरतपुर को इस आशय की कौफियत जारी हो कि एफआईआर संख्या 371/2016 में गौवंश अधिनियम की धारा 5/8 के अन्तर्गत जप्त वाहन आईसर ट्रक संख्या RJ 02 GB 1368 अन्य किसी प्रकरण में वांछित (Wanted) ना हो तो जिला आवकारी अधिकारी भरतपुर को सुपुर्दगी में दिया जावे। अगर भविष्य में सक्षम न्यायालय की आज्ञा पर वाहन स्वामी द्वारा कोई उज्र पेश किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जिला आवकारी अधिकारी भरतपुर तदनुसार पालना सुनिश्चित करेंगे। पत्रावली फंसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

  
जिला कलक्टर  
भरतपुर